न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंण्डल, ग्वालियर, कैम्प रीवा म•प्र• ।

(46)

R-1763-III/2000

रामाधार केवट पिता रामअवतार केवट, निवासी ग्राम केचुहा, तहसील त्योंथर, जिला रीवा म•प्र•

----- आवेदक ।

बनाम

म0प्र0 शासन

----- अनावेदक ।

पुनरीक्षण प्रार्थना पत्र विरुद्ध आदेश श्रीमान् आयुक्त महोदय, रीवा संभाग रीवा, राजस्व प्रकरण क्र0 98/निगरानी/95-96, आदेश दिनांक- 6•9•2000

पुनरीक्षण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 50 म•प्र•भू•रा• स• 1959 ई• ।

मान्यवर,

पुनरीक्षण प्रार्थना पत्र के आधार निम्नांकित हैं :-

1• यहकि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों, श्रीमान् जिलाध्यक्ष रीवा तथा श्रीमान् कमिश्नर रीवा का आदेश क्षेत्राधिकार के बाहर होने से अवैधानिक एवं अनियमित होने से निरस्त योग्य है ।

2• यहकि आवेदक के हक में तहसीलदार त्योंथर ने वादग्रस्त भूमि का व्यवस्थापन म•प्र• कृषि प्रयोजन के लिये उपयोग की जा रही दखल रहित भूमि पर भूमि स्वामी अधिकार का प्रदान किया जाना (विशेष उपबन्ध) अधिनियम 1984 के मुताबिक दिनांक 17•7•87 को व्यवस्थापनकर दिया था । श्रीमान् जिलाध्यक्ष रीवा ने स्वयमेव निगरानी पंजीबद्ध कर तहसीलदार के आदेश को दिनांक 6•2•96 को निरस्त कर दिया था । श्रीमान् जिलाध्यक्ष का आदेश क्षेत्राधिकार के बाहर होने की चुनौती दी गई थी, किन्तु श्रीमान कमिश्नर - रीवा ने उक्त विन्दु पर निष्कर्ष ना देकर जिलाध्यक्ष रीवा का आदेश कायम

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक निगरानी 1763–तीन/2000 जिला रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
04 –8–2016	आवेदक अधिवक्ता श्री अनिल कुमार द्विवेदी उपस्थित। आवेदक अधिवक्त ने अभिलेख नहीं आने से पेशी दिये जाने का अनुरोध किया तथा अभिलेख के अभाव में निराकरण नहीं किये जाने का तर्क किया। 2/ प्रकरण का अवलोकन किया। यह प्रकरण वर्ष 2000 से अर्थात लगभग 16 से लंबित है। इस प्रकरण में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख प्राप्त हो गये हैं, परन्तु विचारण न्यायालय का अभिलेख अप्राप्त है। विचारण न्यायालय के अभिलेख मंगाने हेतु कई बार पत्र जारी किये गये। पत्र के जबाव में तहसीलदार त्योंथर की ओर से पत्र दिनांक 30–8–14 एवं 2–1–15 क द्वारा लेख कर यह अवगत कराया गया कि प्रकरण अभिलेखागार में उपलब्ध नहीं है। तहसीलदार त्योंथर के पत्र दिनांक 26–8–14 में अभिलेख भेजने वाली डायरी की छायाप्रति प्रस्तुत कर यह लेख किया गया है कि वांक्षित अभिलेख इस न्यायालय के प्रवाचक को प्राप्त कराया था तथा उसके हस्ताक्षर भी है, परन्तु तहसीलदार का उक्त अभिलेख प्रकरण में संलग्न नहीं है। अभिलेख प्राप्त होने पर उसे इस प्रकरण में संलग्न नहीं किया जाना कर्तव्यो के प्रति लापरवाही प्रकट करती है इसके लिए सचिव राजस्व मण्डल को संबंधित कर्मचारी की जिम्मेदारी तय करते हुये उक्त लापरवाही के लिए अनुशासनात्मक कार्यवाही करने हेत प्रथक से लिखा जावे। चूंकि इस	

प्रकरण तहसीलदार के अभिलेख के अभाव में लंबित रखा अब उचित नहीं है क्योंकि तहसील न्यायालय में अभिलेख उपलब्ध हीं नहीं है। इसके अतिरिक्त 16 वर्ष बीत जाने के पश्चात अब और अधिक समय तक प्रकरण को लंबित रखना भी न्यायोचित नहीं है इसलिए प्रकरण का निराकरण उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर ही किया जा रहा है।

3/ आवेदक द्वारा यह निगरानी म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संक्षिप्त में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत अपर आयुक्त रीवा संभाग के प्रकरण कमांक 98/निगरानी/1995–96 में पारित आदेश दिनांक 6–9–2000 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

4/ प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि तहसीलदार त्योंथर के प्रकरण कमांक 83/कअ–19/85–86 में पारित आदेश दिनांक 17–7–87 द्वारा ग्राम केचुहरा की शासकीय भूमि खसरा कमांक 275/2 का अंश भाग रकवा 3.00 एकड़ भूमि का व्यवस्थापन किया गया था। उक्त व्यवस्थापन आदेश को स्वमेव निगरानी में लेकर परीक्षण करने हेतु कलेक्टर रीवा ने प्रकरण कमांक 22/अ–19/स्व0निग0/94–95 पर दर्ज कर आवेदक को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। आवश्यक कार्यवाही के पश्चात आवेदक के तर्क सुनने के पश्चात कलेक्टर ने आदेश दिनांक 6–2–99 के द्वारा तहसीलदार द्वारा पारित व्यवस्थापन आदेश दिनांक 17–7–87 निरस्त किया। कलेक्टर ने अपने आदेश में लिखा है कि प्रकरण में अनावेदक द्वारा ग्राम

केचुहा जनरल नं0 85 का खसरा वर्ष 84–85 से 85–86 की नकल प्रस्तुत की है, इससे यह नहीं माना जा सकता है कि उसका कब्जा वर्ष 65 या 70 के पूर्व से था। संहिता की धारा 237 के तहत कार्यवाही किये जाने का प्रश्न है विवादित भूमि नं0 275/2 अनावेदक द्वारा प्रस्तुत खसरे की नकल के अनुसार पहाड़ दर्ज है जब तक संहिता की धारा 237 के तहत नईवयत परिवर्तन नहीं करा ली जाती है तब तक भूमि का व्यवस्थापन नहीं किया जा सकता था। जहां तक संयुक्त या अनावेदक के संयुक्त परिवार के पास भूमि न होने का प्रश्न है अनावेदक ने कोई ऐसा प्रमाण या अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह माना जा सके कि उसके पास या अन्य परिवार के सदसें के पास कोई भूमि नहीं है। उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आधार पर तहसीलदार त्योंथर ने अपन आदेश दिनांक 17–7–78 बिना जांच व नियमों के पालन करते हुये पारित किया है अतः निरस्त किया जाता है। तहसीलदार का आदेश निरस्त किया गया। कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध आवेदक ने अपर आयुक्त के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की। अपर आयुक्त ने आदेश दिनांक 6–9–2000 के द्वारा कलेक्टर का आदेश स्थिर रखते हुये निगरानी नामजूर की। अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

5/ प्रकरण में उपलब्ध अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया जिससे प्रकट होता है कि तहसीलदार द्वारा जिस भूमि का व्यवस्थापन किया गया था वह शासकीय भूमि थी। काबिल काश्त दर्ज न

होकर पहाड़ दर्ज थी। ऐसी भूमि का जब तक कि नोईयत परिवर्तन नहीं होता व्यवस्थापन नहीं किया जा सकता था। बिना नोईयत परिवर्तन के किया गया व्यस्थापन को कलेक्टर द्वारा विधिसम्मत नहीं पाते हुये निरस्त किया जिसे अपर आयुक्त द्वारा भी सही ठहराया है। विधि की मंशा के विपरीत किये गये अवैधानिक आदेश को कलेक्टर द्वारा स्वमेव निगरानी में लेकर निरस्त किया है। कलेक्टर द्वारा आवेदक को जबाव एवं पक्षक समर्थन का पूर्ण अवसर प्रदान किया गया है। अतः यह भी नहीं कहा जा सकता कि आवेदक को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। कलेक्टर एवं अपर आयुक्त द्वारा पूर्ण विवेचना के साथ विधिसंगत आदेश पारित किये हैं जिनमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं होने से निरस्त की जाती है। पक्षकार सूचित हों। अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख वापस भेजे जायें। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

(के0सी0 जैन)
सदस्य